न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम :सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

प्रार्थना–पत्र सं0 : 32 सन 2020

अनवान :–

1. घडसीराम पुत्र कलुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. कृष्ण कुमार पुत्र कलुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर ।
3. मोमनराम पुत्र कलुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. रामकुमार पुत्र कलुराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ

सायलान

बनाम

1. दुनीराम पुत्र हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
2. ओमप्रकाश पुत्र हरदेवाराम जाति नायक निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सुखराम पुत्र हरदेवाराम जाति जाट निवासी गुडिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

गैर सायल

प्रार्थना–पत्र 212 आरटीए बाबत

अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता सायल

श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता गैरसायल 2,3

श्री भरत सिंह बैनीवाल अधिवक्ता गैरसायल 1

निर्णय दिनांक :– 04/11/2020

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने विरूद्ध गैर सायल प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा चक 5 वी बारानी के खाता संख्या 86/86 की कुल 7.0840हैक भूमि में वादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा तथा गैरसायल न0 1 ता 3 प्रत्येक 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

सायलान एवं गैरसायलान ने उक्त वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर रखा है और बाहमी बटवारा में रोही मौजा चक 5 वी बारानी के खाता संख्या 86/86 के प0न0 344/396 (75) के किला न0 6/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2530 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0.2530 कुल 3.289हैक व प0न0 345/396(74) के किला न0 10 मिन पश्चिम की 0.084हैक 11 मिन पश्चिम की 0.084हैक 20 मीन पश्चिम की 0.085हैक कुल 0.253 कुल योग 3.542हैक भूमि प्राप्त हुई जिसे वादी काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

सायलान ने अपने बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि पर मेहनत करके उपजाउ एवं समतल बना रखा है पानी की पाईप लाईन भी बिछा रखी है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि आज भी मुश्तरका रूप से दर्ज है जिससे हमेशा लगान का झगडा रहता है एवं गैरसायलान के मन में लालच आ गया है इसलिये गैरसायलान सायलान के द्वारा समतल व उपजाउ की गई भूमि को हडपना चाहते है एवं जबरिया सायलान के हक हिस्सा की भूमि पर कब्जा करना चाहते है।

सायलान को बाहमी बटवारा में प्राप्त हुई भूमि पर काबिज है जिसे उपजाउ व समतल बनाया गया है सायलान अपने कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहते है।।

गैरसायलान सायलान की उपजाउ व समतल की गई भूमि पर काबिज होना चाहते है यदि गैरसायलान अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायलान गैरसायलान को पाबन्द करवाने के अधिकारी है गैरसायला बिना खाता विभाजन करवाये सायलान के कब्जा काश्त की भूमि पर किसी प्रकार से दखल नही करे ।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर गैरसायलान के विरूद्व इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की रोही मौजा चक 5 वी बारानी के खाता संख्या 86/86 की कुल 7.0840हैक भूमि का खाता विभाजन करवाये बिना सायलान के कब्जा काश्त में बेवजह मदाखलत बेजा ना करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे।

सायलान का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये सम्मन तलब किया गया गैरसायल न0 1 की और से श्री भरतसिह अधिवक्ता उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल पेश किया गया तथा गेरसायल न0 2 ता 3 जरिये

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर सायलान के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया की

सायलान एवं गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार काश्त करते आ रहे है वाद भूमि के सम्बा में कोई बाहमी बटवारा नही हुआ है ना ही बटवार के सम्बध में कोई लिखापढी हुई है सायलान के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि सायलान के कब्जा काश्त में नही है सायलान एवं गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है सहखातेदार के विरूद्व प्रतिकुल कब्जा नही माना जाता है वाद भूमि को समतल व उपजाउ एवं पानी की पाईप लाईन का खर्चा गैरसायला ने भी दिया है वाद भूमि पर अकेले सायलान का कब्जा काश्त नही है गैरसायलान का मुताबिक हक हिस्सा सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर हिस्सा व कब्जा काश्त होता है।

सायलान ने लालचवंश नहरी किरम की भूमि हडप करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया है सायलान एंव गैरसायलान के मध्य कभी भी कोई बाहमी बटवारा नही हुआ है सायलान का प्रत्येक इंच पर गैरसायलान के साथ कब्जा काश्त की भूमि है वादभूमि सहखातेदारी में दर्ज है वाद भूमि का अकेले सायलान खातेकार काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी नही है ना ही किसी विशेष किला नम्बरो से बटवारा करवा पाने के अधिकारी नही है सहखातेदार के विरूद्व सायलान किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नही है सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इचं पर गैरसायलान का सायलान के साथ कब्जा काश्त है सायलान व गैरसालान अच्छी में से अच्छी एवं माडी में से माडी भूमि के अनुसार कब्जा काश्त है इसलिये सहखातेदार का पावन्द करवाने का अधिकारी नही है ना ही सायलान कब्जा का स्थगन पाने के अधिकारी है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

गैरसायल न0 1 का इकबला जबाव एवं गैरसायल न0 2 ता 3 का जबाव पेश होने पर शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

सायलान संख्या के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता रांख्या 86/86 की कुल 7.0840हैक भूमि में वादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा तथा गैरसायल न0 1 ता 3 प्रत्येक 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

सायलान एवं गैरसायलान ने उक्त वाद भूमि का आपसी सहमति से बाहमी बटवारा कर रखा है और बाहमी बटवारा में रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 86/86 के प0न0 344/396 (75) के किला न0 6/0.2530 ,7/0.2530 ,8/0.2530 13/0.2530 ,14/0.2530 ,15/0.2530 ,16/0.2530 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0.2530 कुल 3.289हैक व प0न0 345/396(74) के किला न0 10 मिन पश्चिम की 0.084हैक 11 मिन पश्चिम की 0.084हैक 20 मीन पश्चिम की 0.085हैक कुल 0.253 कुल योग 3.542हैक भूमि प्राप्त हुई जिसे वादी काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

सायलान ने अपने बाहमी बटवारा में प्राप्त भूमि पर मेहनत करके उपजाउ एवं समतल बना रखा है पानी की पाईप लाईन भी बिछा रखी है किन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि आज भी मुश्तरका रूप से दर्ज है जिससे हमेशा लगान का झगडा रहता है एवं गैरसायलान के मन में लालच आ गया है इसलिये गैरसायलान सायलान के द्वारा समतल व उपजाउ की गई भूमि को हडपना चाहते है एवं जबरिया सायलान के हक हिस्सा की भूमि पर कब्जा करना चाहते है।

सायलान को बाहमी बटवारा में प्राप्त हुई भूमि पर काबिज है जिसे उपजाउ व समतल बनाया गया है सायलान अपने कब्जा काश्त की भूमि का खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग से कायम करवाना चाहते है।।

गैरसायलान न0 2 ,3 सायलान की उपजाउ व समतल की गई भूमि पर काबिज होना चाहते है यदि गैरसायलान 2 ,3 अपने मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायलान को अपूर्णीय क्षति होगी इसलिये सायलान गैरसायलान 2, 3 को पाबन्द करवाने के अधिकारी है गैरसायलान बिना खाता विभाजन करवाये सायलान के कब्जा काश्त की भूमि पर किसी प्रकार से दखल नही करे सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावे।

गैरसायल 2 ,3 के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरातें हुए निवेदन किया की सायलान एवं गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जो अपने हक हिस्सा के अनुसार काश्त करते आ रहे है वाद भूमि के सम्बध में कोई बाहमी बटवारा नही हुआ है ना ही बटवारा के सम्बध में कोई लिखापढी हुई है सायलान के प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि सायलान के कब्जा काश्त में नही है सायलान एवं गैरसायलान मुश्तरका खातेदार काश्तकार दर्ज है सहखातेदार के विरूद्व प्रतिकुल कब्जा नही माना जाता है वाद भूमि को समतल व उपजाउ एवं पानी की पाईप लाईन का खर्चा गैरसायलान ने भी दिया है वाद भूमि पर अकेले सायलान का कब्जा काश्त नही है गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned with CamScanner

का मुताबिक हक हिस्सा सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर हिस्सा व कब्जा काश्त होता है।

सायलान ने लालचवंश नहरी किस्म की भूमि हडप करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया है सायलान एंव गैरसायलान के मध्य कभी भी कोई बाहमी बटवारा नही हुआ है सायलान का प्रत्येक इंच पर गैरसायलान के साथ कब्जा काश्त की भूमि है वादभूमि सहखातेदारी में दर्ज है वाद भूमि का अकेले सायलान खातेकार काश्तकार धोषित करवाने के अधिकारी नही है ना ही किसी विशेष किला नम्बरो से बटवारा करवा पाने के अधिकारी नही है सहखातेदार के विरूद्व सायलान किसी प्रकार का अनुतोष पाने के अधिकारी नही है सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इचं पर गैरसायलान का सायलान के साथ कब्जा काश्त है सायलान व गैरसालान अच्छी में से अच्छी एवं माडी में से माडी भूमि के अनुसार कब्जा काश्त है इसलिये सहखातेदार का पावन्द करवाने का अधिकारी नही है ना ही सायलान कब्जा का स्थगन पाने के अधिकारी है सायलान का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया यह तथ्य तो वाद में साक्ष्य सबुतों के आधार पर तय होगा की सायलान का वाद भूमि के सम्बध में कोई बाहमी बटवारा हुआ है या नही प्रार्थना पत्र में तो केवल यह देखा जाना है कि प्रथम दृष्टया प्रकरण सूविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का बिन्दु किसके पक्ष में है।

प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 86/86 की कुल 7.0840हैक भूमि में वादी संख्या 1 ता 4 प्रत्येक के 1/8 हिस्सा तथा गैरसायल न0 1 ता 3 प्रत्येक 1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है अर्थात सायलान एवं गैरसायलान न0 1 ता 3 के नाम मुश्तरका खातेदारी दर्ज है अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सायलान गैरसायलान दोनो के पक्ष में साबित होता है।

सायलान का कथन है कि वाद भूमि जो मुश्तरका राजस्व रिकार्ड में दर्ज है का बाहमी बटवारा हुआ है जबकि गैरसायलान का कथन है कि उसका सायलान के साथ कोई बाहमी बटवारा नही हुआ है सायलान ने बाहमी बटवारा के सम्बध में कोई साक्ष्य पेश नही किया गया है साक्ष्य के अभाव में बाहमी बटवारा होना नही माना जा सकता है यहाँ यह उल्लेखनिय है कि गैरसालय न0 1 ने सायलान के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया गया है।

सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इचं पर कब्जा काश्त माना जाता है जब तक खाता विभाजन नही हो जाता चाहे सहकाश्तकार भूमि काश्त करने के लिये अपने हक हिस्सा के अनुसार भूमि काश्त करते हो।

वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि सायलान एवं गैरसायलान के नाम से सहखातेदारी में दर्ज है सहखातेदारी की भूमि पर प्रत्येक इंच पर सायलान एवं गैरसायलान का कब्जा काश्त माना जाता है इसलिये सहखातेदारी की भूमि के किसी विशेष भू0 भाग पर निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित प्रतित नही होता है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सायलान एवं गैरसायलान न0 1 ता 3 के नाम से दर्ज है जब तक वाद भूमि का सायलान व गैरसायलान के हक हिस्से किस्म भूमि के अनुसार खाता व लगान राजस्व रिकार्ड में अलग अलग दर्ज नही हो जाता तब तक विवाद की स्थिति पैदा ना हो इसलिये उभयपक्षों अर्थात मुश्तरका खातेदारों को पाबन्द किया जाना उचित प्रतित होता है कि खाता विभाजन होने तक वाद भूमि के किसी विशेष भू0 भाग का बेचान/रहन बैय नही करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाये रखे।

उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन अपूर्णीय क्षति के बिन्दु उभयपक्षों के पक्ष में साबित होने के कारण उभयपक्षों के मध्य विवाद की स्थिति और ना बढे इसलिये न्यायाहित में उभयपक्षों सायलान एवं गैरसायल न0 1 ता 3 को पाबन्द किया जाता है कि वाद भूमि रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 86/86 की कुल 7.0840हैक भूमि जो सहखातेदारी में सायलान एवं गैरसायलान के नाम से दर्ज है के किसी विशेष भू0भाग को रहन बैय या अन्य किसी प्रकार से अन्तरित ना करे रिकार्ड एवं मौका की यथास्थिति बनाई रखी जावे व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीबी तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04/11/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया

उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
नोहर(हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner